किता सिंह / भोजी सिंह

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
.11.21	पत्रावली पेश हुई। रजिस्ट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ कैविएट प्रा० पत्र संलग्न है। अतः कैविएटर व अभिभाषक को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 22.11.21 को पेश हो।
22 11/21	[illegible] विरुद्ध [illegible] पत्रावली [illegible] नकल [illegible] 23.11.21 को पेश हो।
23 11/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपी० एवं कैविएटर अभि० उपस्थित आये। कैविएटर को नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते स्थगन बहस दिनांक 25.11.21 को पेश हो।
	25.11.2021 :- पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं कैवियटर उपस्थित। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का भी हिस्सा निहित है। उक्त भूमि का पूर्व में ही मौखिक बटवारा हो चुका है। इसलिये वादी असल रेस्पो० को बटवारा का दावा लाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खाते की भूमि पर सभी खातेदारों का कब्जा प्रत्येक इंच पर माना जाता है। शामलात खाते की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विपक्षी को सुने बिना पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नहीं होता है। अतः स्थगन प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे।
	जवाब में विद्वान वकील कैवियटर का कथन है कि विवादित भूमि का पहले कभी विधिवत बटवारा नहीं हुआ था। विवादित भूमि अबट है। ये लोग हमको शामलात में खेती करने नहीं देते है। इसलिये हमने बटवारा का

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	दावा किया है। ये लोग दौराने विचारण वाद, अच्छी अच्छी भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहते है। इसलिये तहत अदालत द्वारा सही तौर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
	हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। अपील पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट बिशन सिंह का $\frac{1}{28}$ भाग दर्ज है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी को सुना जाना आवश्यक है, परन्तु तहत अदालत ने अपीलांट, जो कि विवादित भूमि का रेकोर्डेड सह खातेदार है, को बिना सुने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है।
	अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके वहाँ लम्बित प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट उनवान मोती सिंह बनाम ओमप्रकाश में उभयपक्ष को सुनकर आदेश 39 नियम 3(क) CPC में दी गई समयावधि 30 दिवस के अन्दर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे, तब तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2021 का प्रचलन स्थगित किया जाता है। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। Sd/-

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर